प्रतिलिपि पत्रांक 5350-जी0 एस0-II-72/2906, दिनांक 13, 16/10-72, प्रेषक मुख्य सचिव हरियाण सरकार सेवा में सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला मंडल सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी हरियाण तथा रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा हाईकोर्ट तथा सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरियाणा।

विषय :- उच्चतर शिक्षा पाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को अनुमति देना।

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 3712-2 जी0 एस0 II-72/21209, दिनांक 18-7-72 की ओर दिलाऊं जिसके द्वारा सरकारी कर्मचारियों के उच्चतर शिक्षा पाने के लिये शैक्षणिक संस्थाओं में भत6 पर कुछ प्रतिबंध लगाये गये थे। इस संबंध में एक प्रश्न उठाया है कि क्या उपरोक्त प्रतिबंध ऐसे कर्मचारियों पर भी लागू होंगें जो कोरसपोंडैन्स कोर्सिज करते हैं। इसे मुख्यालय द्वारा सरकार पर विचार कर, यह निर्णय किया गया है कि कोरसपोन्डैन्स कोर्सिज करने वाले उम्मीदवारों को लगातार किसी संस्था में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिये कोसरपोन्डैन्स कोर्सिज पर यह प्रतिबंध नहीं लागू होगें।

2. इसके अतिरिक्त यह निर्णय भी लिया गया है कि ऐसे तदर्थ कर्मचारी जिन्हें परिपत्र दिनांक 18-7/2 के अनुदेश जारी होने से पहले किसी कोर्स में भर्ती होने की अनुमति दी जा चुकी है उन्हें संबंधित कोर्स को पूरा करने दिया जाए।

हस्ता/-
उप अधीक्षक सामान्य, प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव हरियाणा सरकार।